

24/6/2020

अधिवक्ता जमीन उपर लिखित प्रकरण  
में आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहिए।  
कारण ~~बिना~~ निवेदन में नोटिस  
अर्जित किया है। इसके प्राचीन प्रकार  
में आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहिए  
है। अतः प्रकरण नोटिस में जारी  
किया जाता है। कार्रवाई के लिए सुझाव  
दिया नगकर ही कम है।

६

(बीनू देवल)  
सहायक कमिश्नर एवं  
अपर अधीक्षक अधिकारी  
अधीक्षक (राज.)

Not Press  
Rukh  
वकील पंजीय